Employment of Children in Beedi Manufacturing

1438. SHRI N. E. BALARAM:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Supreme Court in its judgement has passed 11 directives in regard to the need for an immediate ban on the employment of children in beedi manufacturing;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps proposed to be taken by Government for the implementation of these directives?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): (a) to (c) In a Writ Petition (Civil) No. 1262 of 1987 regarding District Beedi Workers' Union V/S State of Tamil Nadu and others, the Supreme Court has issued only one directive regarding employment of children in beedi industry which states:

"Tobacco manufacturing has indeed health hazards. Child labour in this trade should therefore be prohibited as far as possible and employment of child labour should be stopped either immediately or in a phased manner to be decided by the State Governments but within a period not exceeding three years from now. The provisions of Child Labour Abolition Act, 1986 should be strictly implemented."

Agreement arrived at with the provident fund defaulting Jute Companies

1439. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Union labour Minister in 1986 had called a meeting of Provident Fund defaulting jute companies where it was decided that 8 percent deductions would be made from employee's salaries for contribution to Provident Fund and ESI;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether this agreement was honoured by the jute mill owners; and

(d) if not, what action is proposed to be taken against such jute mills?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): (a) to (c) No, Sir. At the meeting taken by the Union Labour Minister on 7th July, 1986 it was decided *inter-alia* that the defaulting jute mills will liquidate arrears of EPF/ESI dues by way of deduction of 8 per cent on the bills payable to them by the DGS&D. Since most of the mills failed to honour the agreement, it was withdrawn.

(d) The EPF and ESI authorities are taking normal penal and legal action against the defaulting establishments for realisation of the outstanding dues.

पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के बन्द होने की सम्भावना

1440. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 सितम्बर, 1991 के "दि ट्रिब्यून" में "800 मे बी रेंडर्ड जॉबलैस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उर्वरकों के संबंध में घोषित नई राष्ट्रीय नीति के अनुसार पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के बन्द हो जाने की संभावना के परिणामस्वरूप लगभग 800 श्रमिकों के बेरोजगार हो जाने की संभावना है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पंजाब प्रशासन ने इस संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) जी हां से (घ) नांगल स्थित कारखाने में सोडा-ऐश और अमोनियम क्लोराइड उर्वरक का उत्पादन करने वाली इस कम्पनी के अनुसार अमुनियम क्लोराइड उर्वरक पर से नियंत्रण हटा लेने और बाद में इमदाद (सब्सीडी) बंद कर देने के परिणाम स्वरूप इसको पहले से भी ज्यादा घाटा हो सकता हैं । इस संबंध में कंपनी और राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार को एक अभ्यावेदन दिया हैं । चूंकि यह कंपनी राज्य सरकार की एक संयुक्त क्षेत्र कंपनी है, अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत राज्य सरकार ही इसे बन्द करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए समुचित सरकार है ।

राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें

1441. **श्री राम जेठमलानी :**

डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इसकी कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निर्णय किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बंध में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (न कि राष्ट्रीय श्रम आयोग) ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 31-7-91 को प्रस्तुत कर दी है । इसने अनेक विधायी तथा अन्य उपायों की सिफारिश की है । इन सिफारिशों का कार्यान्वयन उनकी वित्तीय तथा सामाजिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है । इसमें अनेक मंत्रालय तथा विभाग शामिल हैं जिन्हें राज्य सरकारों के परामर्श से कार्रवाई करनी है । संबंधे मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे रिपोर्ट की जांच करें और जहां कहीं आवश्यक हो, राज्य सरकारों से परामर्श करके अपने प्रस्तावों को शीघ्रता से अंतिम रूप दें ।

बेरोजगारी की समस्या

1442. **श्री राम जेठमलानी :**

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोजगार के नए-नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद युवकों में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने युवकों के नाम रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत किए गए और उक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष, पृथक-पृथक रूप से कितने कितने युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) 1983 तथा 1987-88 में रोजगार एवं बेरोजगारी पर किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षणों पर आधारित परिणाम 15-29 वर्ष के आयु समूह में खुली बेरोजगारी की दरों में वृद्धि दर्शाते है ।